कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 1211 / 2022 / 10–11 2838 भोपाल, दिनांक 30-05-24

प्रेषकः–

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोढरामोहार के मध्य तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु उत्तर बैतूल वन मण्डल की 1.2496 हेक्टेयर वनभूमि एवं होशंगाबाद वन मण्डल की 6.7861 हेक्टेयर कुल 8.0357 हेक्टेयर वनभूमि सेन्ट्रल रेल्वे, नागपुर डिवीजन, बैतूल को उपयोग पर देने बाबत् (FP/MP/RAIL/ 150074/2021)

संदर्भः– आपका का पत्र क्रमांक / 6-MPR 027/2023-BHO/I/73031 दिनांक 27.05.2024.

----0----

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के द्वारा आपने सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 02 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। चाही गई दोनों बिन्दुओं की जानकारी का विवरण निम्नानुसार हैः–

बिन्दु क्रमांक–1 एवं 2

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	The State Govt. stated that the land occupied with existing line is in possession of Railways but no documentary evidence or certificate issued by the competent authority has been furnished showing the existing line constructed (in 1919 and 1986) on Railway owned land within Railway's right of way under Section 11 of Railways Act, 1989.	इस बिन्दु के संबंध में रेल्वे विभाग के आधिपत्य वाली भूमि पर निर्मित रेल्वे लाईन के साक्ष्य हेतु 25 मानचित्र प्रस्तुत किये है, जो हार्डकॉपी में संलग्न प्रेषित हैं।
2	The area which is under re-diversion for use of NHAI and Railway is also requiring to be mentioned	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि construction of new Railway line is to be done within the Railway's owned land and Forest Diversion is proposed for only some patches where the owned land is falling short. This land is to be utilized by Railway and not to be shared with NHAI for construction of roads. Particularly at the three locations where NHAI is crossing the Railway alignment through ROBS, the established working norms are that, Railway will construct their part only within the Railway's land and for construction of approaches of ROBS NHAI will for their own forest diversion if required.

3	With reference to this office EDS point 7 the comment of CWLW has been provided and was informed that provisions made in the document of WII regarding infrastructural Projects to mitigate measures for wildlife protection shall be taken under consideration during the work. Therefore, site specific activity/structure required and detail of fund provision for the same shall be provided to the REC.	बिन्दु क्रमांक 3 के पालन में आपके पूर्व पत्र दिनांक 17.07.2023 के EDS point No. 7 के पालन में प्रस्तावित वनभूमि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की सीमा से 6.63 कि.मी. होने के कारण मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी से अभिमत चाहा गया था। मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी ने अशासकीय टीप दिनांक 27.10.2023 से अभिमत दिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
4	This was informed by the concerned DFO that the area of the project falls in the Satpura- Melaghat Tiger Corridor. As per prescribed guideline of FCA the proposal will require clearance from the NBWL in this case.	जिसके साथ आवेदक संस्थान द्वारा वन्यप्राणी अनुमति हेतु ऑनलाईन क्रमांक/WL/MP/RAIL/468116/2024 से आवेदन किया गया है। वन्यप्राणी अनुमति की कार्यवाही प्रचलित है।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

30/05/24

(एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक/एफ–5/1211/2023/10–11/3839 भोपाल, दिनांक 30-05-24

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), बैतूल एवं नर्मदापुरम (होशंगाबाद) वृत्त, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, उत्तर बैतूल एवं एवं नर्मदापुरम म.प्र.।
3. उप मुख्य अभियंता (निर्माण), मध्य रेलवे नागपुर डिवीजन, बैतूल, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

30/05/24

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल